एक नज़र में

ग्राम समिति प्रशिक्षण वर्ग का किया आयोजन

बड़वानी। भारतीय किसान संघ का ग्राम समिति प्रशिक्षण वर्ग ग्राम सेगांवा आवली के दही बड़ा पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान बलराम जी का पुजन सह संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रांत महामंत्री रमेश डांगी, प्रांत कोषाध्यक्ष शांतिलाल शर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार, जिलाध्यक्ष भगवान पटेल, जिला मंत्री कमल तोमर ने किया। प्रथम सत्र में सह संगठन मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी किसान संघ में आगे आने की जरूरत है। आगामी एक वर्ष में हमें प्रत्येक ग्राम समिति से एक-एक युवा कार्यकर्ता खड़ा करना है। दूसरे सत्र में प्रांत कोषाध्यक्ष शांतिलाल शर्मा ने किसानों को किसान संघ की स्थापना दिवस और किसान संघ का परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसी तरह तीसरा सत्र में प्रांत उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार एवं संभागीय सदस्य मंसाराम पंचोले द्वारा लिया गया। चौथा सत्र में प्रांत महामंत्री रमेश डांगी ने रीति-नीति के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण का संचालन तहसील मंत्री भागीरथ पाटीदार ने किया।

गर्व और गौरव का क्षण

विश्व मंच पर आदिवासी अस्मिता की गूंज, डॉ सोलंकी करेंगे जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व

बड़वानी, (नवभारत)। आदिवासी समाज के लिए यह गर्व और गौरव का क्षण है कि पहली बार भाजपा की सरकार में हमारे समाज से उभरकर आए विद्वान नेता और राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित 151वीं इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। यह सम्मेलन 19 से 23 अक्टूबर 2025 तक जिनेवा के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा, जिसमें दुनिया के करीब दो सौ से अधिक देशों के संसद सदस्य और प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन विश्व का सबसे पुराना और प्रभावशाली संसदीय संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति, सतत विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इस असेंबली में प्रत्येक सदस्य देश के सांसद अपनी संसदों के अनुभव, विचार और पहल को सांझा करते हैं, जिससे लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से दुनिया भर में अवैध अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

डॉ सुमेर सिंह सोलंकी लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों के क्षेत्र में भारत की दृष्टि को विश्व समुदाय के सामने रखेंगे। वे भारत की संवैधानिक परंपरा, समावेशी लोकतंत्र और समाज में कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वे अन्य समितियों के विमर्श में भी हिस्सा लेंगे, जिनमें शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, सतत विकास तथा संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

डॉ सोलंकी का यह दौरा 17 से 23 अक्टूबर तक रहेगा। इस यात्रा से भारत विश्व को यह संदेश देगा कि उसका लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन मूल्य है, जो समानता, सहअस्तित्व और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित है।

23 अक्टूबर तक रहेगा

- **डॉ सुमेरसिंह सोलंकी का यह दौरा 23 अक्टूबर तक रहेगा।**
- **अन्य समितियों के विमर्श में भी लेंगे हिस्सा।**

स्व . राजपूत को श्रद्धा सुमन किए अर्पित

पानसेमल,(नवभारत)।क्षेत्र के ग्राम दौड़वाडा निवासी समाजसेवी और भाजपा के नेता रहे स्व मंगलसिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने स्व राजपूत द्वारा किए गए सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कार्यों में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी तथा उनके साथ कार्य करने के अनुभव सांझा किए। भाजपा नेताओं ने बताया कि उनकी कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी।

वे करीब 48 वर्षों से सक्रिय राजनीति और समाज में समाजसेवी के रूप में समय देते रहे। चुनावों में भी अपनी अलग रणनीति के लिए जाने जाते थे। उपस्थितजनों ने अपने विचार व्यक्त किए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मोन धारण कर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, उपाध्यक्ष साहेबराव चौधरी, महेश गोले, राम सोनाने, चंद्रकांत महाजन, दिनेश मंगलसिंह राजपूत, उज्जैन राजपूत, वरिष्ठ नेता निम्बासिंह राजपूत, वीपी सिंह सोलंकी, अनूप मिश्रा, चेनसिंह गदरे, दीपक गोहिल, उत्तम सोलंकी, धर्मेंद्र सोलंकी, मधु महाजन सहित अन्य मौजूद रहे।

अल्प विराम कार्यशाला संपन्न

बड़वानी। राज्य आनंद संस्थान भोपाल व जन अभियान परिषद द्वारा पानसेमल में ब्लॉक स्तरीय अल्प विराम प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आजीविका भवन किया गया। प्रशिक्षण में जिला संपर्क व्यक्ति अनिल जोशी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को सुनना ही आनंद है। प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करने के बाद उन्हें आनंद की अवधारणा, हमारे जीवन में आनंद कैसे आता है, हमारा आनंद कब बढ़ता है या कब कब घटता है के बारे में चर्चा की। मास्टर ट्रेनर्स डॉ राम सहाय यादव, सुधा बाजपेई, रघुवीर सोलंकी, सुनीता शुक्ला ने कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में ब्लॉक के सीईओ जनपद के मार्गदर्शन में सभी विभागों के 60 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

जल प्रदाय योजना के लिए हेल्प डेस्क सेवा प्रारंभ

बड़वानी। मध्य प्रदेश जल निगम तलून खुर्द ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना परियोजना के तहत जल सेवा एवं संबंधित प्राप्त समस्या के लिए हेल्प डेस्क सेवा शुरू की है।

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)
आंचलिक कार्यालय: 380, दूसरी मंजिल, साकेत नगर, इंदौर
फोन:0731-2438300, 2438305

परिसर की आवश्यकता

यूको बैंक परिसर किराए पर लेना चाहता है, जिसमें 1000-1200 वर्गफुट का कालीन क्षेत्र भूतल (Ground Floor) पर होना चाहिए। नई शाखा खोलने के लिए निम्नलिखित इलाके में परिसर की आवश्यकता है।

क्रं.	सेन्टर का नाम	कालीन क्षेत्रफल वर्गफीट	स्थान	विवरण
1.	इन्दौर	1000-1200	भंवरकुआ	केवल भूतल पर क्षेत्र की आवश्यकता, रु. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर के पक्ष में बोली के साथ आवश्यक

कालीन क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (1) अन्य सह-किरायेदारों के साथ साझा किए गए सामान्य क्षेत्र। (2) दिवारों, स्तंभों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र। शौचालय, सिढ़ी से ढका हुआ क्षेत्र। खुला बरामदा, गलियारा एवं मार्ग।
नियम व शर्तों सहित विवरण बैंक की वेबसाईट **www.ucobank.com/यूको बैंक, अंचल कार्यालय, दूसरी मंजिल, 380-साकेत नगर, इन्दौर - 452018** से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारुप पर सीलबंद लिफाफे में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31.10.2025** है।
अंचल प्रबंधक, इन्दौर

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032,तमिलनाडु

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक्त नियम के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकताओं/गारंटर से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उधारकर्ता एवं गारंटर को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि का भुगतान करने का नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ता एवं गारंटर का विवरण, देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा राशि निम्नानुसार है:

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1	MP/INE/IDCT/E000000725 श्री आत्माराम पांचाल 2. श्रीमती आशा बाई 3. श्री मनोज पांचाल	11-10-2025 और रु. 12,91,192/- 10/10/2025 तक। एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: प्लॉट संख्या 244-ईडब्ल्यूएस, पी.एच. संख्या 24, वार्ड संख्या 13 (सरल संख्या 139), जयप्रकाश नगर, ग्राम बावड़िया, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश, भारत - 455001, कुल क्षेत्रफल-484.20 वर्ग फीट (इसके बाद विषय संपत्ति के रूप में कहा जाता है) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा पूर्व-रोड, पश्चिम-प्लॉट संख्या 243 ईडब्ल्यूएस, उत्तर- गली, दक्षिण-प्लॉट संख्या 245 ईडब्ल्यूएस की ओर घिरा है।	
2	MP/IDR/DHAR/A000001070.1. श्रीमान 2. भागीरथ कांतिलाल 2. श्रीमती काली बाई 3. श्री. कांतिलाल जी 4. श्रीमती पुन्नी बाई	11-10-2025 और रु. 3,12,346/- 10/10/2025 तक। एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: मकान संख्या 10, घर संख्या 22, ग्राम गोंडीखेड़ा चारण, तहसील सरदारपुर, धार, मध्य प्रदेश, 454111, कुल क्षेत्रफल 5908 वर्ग फुट (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा भाग उत्तर प्लॉट संख्या 9 (विजय जी), दक्षिण आम रास्ता, पूर्व प्लॉट संख्या 11, कच्चा रास्ता, पश्चिम प्लॉट संख्या 9 (विजय जी) की ओर घिरा है।	
3	MP/INE/IDCT/A000000337 1. श्री हरिशंकर 3. जयसवाल 2. श्रीमती छाया जयसवाल 3. श्री आकाश जयसवाल 4. श्री ओमप्रकाश जयसवाल।	11-10-2025 एवं रु. 11,45,829/- 10/10/2025 तक . एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: प्लॉट/मकान संख्या 681, स्कीम संख्या 51, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत 452001, कुल क्षेत्रफल 42.29 वर्ग मीटर (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा उत्तर पूर्व- बैकलेन, दक्षिण पश्चिम रोड, उत्तर पश्चिम - प्लॉट संख्या 680, स्कीम संख्या 51, दक्षिण पूर्व - प्लॉट संख्या 682, स्कीम संख्या 51 की ओर घिरा है।	
4	MP/IDR/DHAR/A000000614 1. श्री जगदीश पंवार 2. श्रीमती विष्णु बाई	11-10-2025 एवं रु. 4,97,770/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: मकान/प्लॉट संख्या 12, सिमलावड़ा, पीएच नं. 02/187, धार, मध्य प्रदेश, 454001, कुल क्षेत्रफल - 690 वर्ग फुट (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा इस प्रकार घिरा है: पूर्व- दिनेश का मकान, पश्चिम- रामेश्वर का मकान, उत्तर- खुली जमीन, दक्षिण-सड़क	
5	MP/IDR/DHAR/A000000320 1.श्रीमान. किशन सिंह 2. श्रीमती तमा नुवर	11-10-2025 एवं रु. 12,51,030/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: वार्ड बो.09, ग्राम रूपाहेड़ा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन में स्थित आवासीय मकान पंजी क्रमांक 128 (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा पूर्व की ओर - दातार सिंह जी का मकान, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - आम रास्ता से घिरा है।	
6	MP/INE/IDCT/A000001800. 1. श्री नरेंद्र भुवनसिंह 2. श्री भुवन सिंह 3. श्रीमती पवन बाई	11-10-2025 एवं रु. 10,14,532/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: सर्वे क्रमांक 445/872/2, ग्राम पंचायत छडोदा, पीएच क्रमांक 4, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) 453220, कुल क्षेत्रफल - 0.0268 हेक्टेयर (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा पूर्व की ओर - रणसिंह पुत्र चंदसिंह की भूमि, पश्चिम - इंदरसिंह पुत्र पर्वत सिंह का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - स्वयं की भूमि से घिरा है।	
7	MP/IDR/DHAR/A000000196 & MP/IDR/DHAR/A000000866. 1. मृतक श्री नारायण मारू के सभी कानूनी उत्तराधिकारी 2. श्रीमती राधा बाई मारू	11-10-2025 एवं रु. 10,06,601/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: ग्राम आबादी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल सर्वे नंबर एलएसएन जेड 120 लभरिया, फोन नंबर 12, वार्ड नंबर 07, गांव लभरिया, तहसील देपालपुर, जिला -धार, मध्य प्रदेश, 454111 कुल क्षेत्रफल-1275 वर्ग फीट (इसके बाद विषय संपत्ति के रूप में कहा जाता है) और अनुसूचित संपत्ति पूर्व की ओर - भेरू पुत्र अम्बाराम का घर, पश्चिम - नानी बाई पुत्र भेराजी का घर, उत्तर - कैलाश पुत्र पुना का घर, दक्षिण - आम रास्ता	
8	MP/IDR/DHAR/A000000366 1. श्री पवन वर्मा 2. श्रीमती टीना जी	11-10-2025 एवं रु. 7,92,525/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: मकान क्रमांक 759/1, फोन क्रमांक 94, ग्राम खेड़ा मद्दा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456550, कुल क्षेत्रफल - 1382 वर्ग फीट (इसके बाद विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा पूर्व की ओर - हड़मत सिंह का मकान, पश्चिम - वीरेंद्र का मकान, उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - घनश्याम का खुला स्थान से घिरा है।	
9	MP/IDR/DHAR/A000000832. 1. श्री राधेश्याम जी 2. श्रीमती शैतान बाई	11-10-2025 एवं रु. 1,21,326.00/- 10/10/2025 तक एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: मकान क्रमांक 232, पटवारी हल्का क्रमांक 46, वार्ड क्रमांक 10, ग्राम गुलवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार मध्य प्रदेश, भारत 454001, कुल क्षेत्रफल - 2728 वर्ग फुट (इसके बाद विषयगत संपत्ति के रूप में कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का पूरा टुकड़ा पूर्व की ओर - भेरूलाल की खुली जमीन, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - दिलीप का घर, दक्षिण - कलुरा का घर से घिरा है	
10	MP/INE/IDCT/A000001404 & CO/CPC/CPOF/A000007252. 1. मृतक संदीप पँवार के सभी कानूनी उत्तराधिकारी 2. श्रीमती अंकिता पँवार 3. श्रीमती इंद्रा पँवार	11-10-2025 एवं रु. 2119634/- 10/10/2025 तक। एनपीए तिथि: 06-10-2025
	संपत्ति का विस्तृत पता: मकान क्रमांक 158/1 पैकी पार्ट, अम्बे नगर, वार्ड क्रमांक 27, जोन क्रमांक 06, तहसील एवं जिला इंदौर, 452001, कुल क्षेत्रफल-520 वर्ग फीट (जिसे आगे विषयगत संपत्ति कहा जाएगा) और अनुसूचित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा पूर्व-गली, पश्चिम-रोड, उत्तर-प्लॉट क्रमांक 159, दक्षिण-प्लॉट क्रमांक 158 से घिरा है।	
11	MP/INE/IDCT/A000000718. 1. विंस मैथ्यू 2. श्रीमती विद्या एस एस 3. सुश्री मोली मैथ्यू	22-08-2025 एवं रु. 30,74,107/- 22/08/2025 तक एनपीए तिथि: 06/05/2024
	संपत्ति का विस्तृत पता: संपत्ति प्लॉट संख्या 149 और 150, गर्ग एस्टेट (पी.एच. संख्या पुराना 24 और नया 38 (वार्ड संख्या 18 सरल संख्या 417, तहसील और जिला देवास (म.प्र) 455001) पर स्थित है। माप क्षेत्र: कुल क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट। सीमाएं: बिक्री विलेख के अनुसार - पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट संख्या 119 और 120, उत्तर: प्लॉट संख्या 148, दक्षिण: प्लॉट संख्या 151	
12	MP/KHA/KHWA/A000000152. 1. उज्जवल सिंह राजपूत 2. एमआर. रितेश सिसौदिया 3. श्री किरण बाई सिसौदिया 4. श्री कमल सिंह	22-08-2025 एवं रु. 5,54,183/-. 22/08/2025 तक एनपीए तिथि: 05/09/2024
	संपत्ति का विस्तृत पता: संपत्ति पीएच नं. 46 पर स्थित है, संपत्ति ग्राम पीपलकोटा, जिला-खंडवा (मध्य प्रदेश-450991) में स्थित है। माप क्षेत्र: कुल क्षेत्रफल 375 वर्ग फुट। सीमा: विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व: आम अस्त, पश्चिम: शंकर और प्रभु का घर, उत्तर: चंदर सिंह मिकाजी का घर, दक्षिण: मंजी सिंह निर्भेसिंह का घर	

यदि उक्त उधारकर्ता गारंटर एचएचआर को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(14) और लागू नियमों के अनुसार उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उधारकर्ता/गारंटर के जोखिम, लागत और परिणाम पर कार्रवाई कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नंबर से संपर्क करें। संपर्क नंबर: राजेश चकोटिया 8435571111 (आरआरएम) श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल - 7723055195 (सीएलएम), श्री गोविंद चौहान 8839328309 (सीआरएम) और पता: क्षेत्रीय कार्यालय 101 8, प्रथम तल हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, एनआरके बिजनेस परी विजयनगर, इंदौर (मप्र) पिन कोड 452010।

दिनांक: 17.10.2025
स्थान: मध्य प्रदेश
एसडी/- अधिकृत अधिकारी
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2025/27 दिनांक: 17.10.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश क्षेत्र में विभिन्न नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।
महाप्रबंधक (क्षेत्र)

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **राजेश पिता श्री लक्ष्मणदास मलगानी** निवासी 943/5, गीताजंली विद्यालय मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) के स्वामित्व एवं अधिपत्य का **आवासीय प्रकोष्ठ क्रमांक 801, आठवीं मंजिल, 'क्लीफ्टन पार्क' पैकी ब्लॉक-सी, सर्वे क्रमांक 132/4, ग्राम कबीरखेड़ी (कबीटखेड़ी) तहसील व जिला इन्दौर जिसका बिल्टअप एरिया 1195 वर्गफीट है, को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जबलपुर (म.प्र.) में Nightlife Food and Beverages LLP के ऋण खाते में** बंधक कर ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
उक्त सम्पत्ति से संबंधित रजिस्टर्ड मूल विक्रय पत्र ई-रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP179142019A1127444 दिनांक 23.02.2019 का **वर्टिकल होम्स एल एल पी (वर्टिकल होम्स प्रा. लि.) तर्फे पार्टनर एवं आथोराईज्ड सिगनेट्री श्री दीपक वलभानी पिता स्व. श्री वल्लभदास जी वलभानी द्वारा श्रीमती लता त्रिवेदी पति श्री विवेक त्रिवेदी निवासी 19, दिलीप सिंह कॉलोनी, शंकर बाग, इन्दौर** के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त मूल दस्तावेज कहीं गुम होकर आज दिनांक तक अप्राप्त है।
यह कि, उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य किसी का हक्क, दान, गिरवी, बक्षीस, मेन्टेनेंस, डिक्री या अन्य किसी प्रकार की आपत्ति आदि का भार हो या उक्त सम्पत्ति के उपरोक्त वारिसों के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक वारिस है, तो वह इस प्रकाशन दिनांक से **15 दिवस** के अंदर मय लिखित दस्तावेजी प्रमाण के मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त सम्पत्ति को हमारे पक्षकार **भारतीय स्टेट बैंक शाखा जबलपुर** (म.प्र.) द्वारा बंधक कर लिया जावेगा।
श्रीमती श्रुति खरे पावड़े (एडवोकेट)
7/6, विजय नगर, जी. सच्चिदानंद मार्केट के पीछे, इन्दौर मोबाइल: 97557-74561, 98931-29677

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	30709948	संपत्ति के बदले ऋण	04.09.2025	1,21,506.32/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. मनोहर सोलंकी 2. बसंती बाई सोलंकी 3. वीरेंद्र मनोहर

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 79.92 वर्ग मीटर है। वर्तमान निर्माण क्षेत्र भूतल 69.70 वर्ग मीटर है। जिसमें मकान निर्मित है। यह गाँव लखी, फोन नंबर 20, आबादी खसरा नंबर 69, तहसील: गोगावां, जिला: खरगोन, मध्य प्रदेश-451331 में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार है:- पूर्व: रोड पश्चिम: श्री जितेंद्र पुत्र संतोष, उत्तर: श्री रामसिंह पुत्र बाऊ, दक्षिण: श्रीमती सूरजबाई पत्नी बद्री

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	126192059	संपत्ति के बदले ऋण	24.09.2025	7,19,384.01/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. भेरू लाल राजपूत, 2. श्यामा बाई राजपूत

संपत्ति का पता: आवासीय मकान संख्या 300/1 का वह पूरा टुकड़ा, जो ग्राम पंचायत संपत्ति कर रजिस्टर में क्रमांक 300/1 पर दर्ज है, आबादी का हिस्सा है। सर्वेक्षण संख्या 969, ग्राम: बर्दियागोयल, पीएच संख्या 43, तहसील: जावरा, जिला: रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 में स्थित, पट्टे के अनुसार माप: लंबाई: 51 फीट, चौड़ाई: 16 फीट, कुल क्षेत्रफल 816 वर्ग फुट। फुट, और सीमांकित:- पूर्व: गिरधारी जाट का मकान पश्चिम: जनरल रोड, उत्तर: केशर सिंह का मकान, दक्षिण: जीवन सिंह का मकान

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 17.10.2025
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) को पढ़ें। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक्त नियमों के नियम 3 को पढ़ें के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उनको जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे इंगित राशियों का भुगतान करें उधारकर्ता(ओं) का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा निम्नानुसार है:-

उधारकर्ता/ऋण लेने वाले/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री अभिषेक खाबिया, अभिषेक खाबिया ओआरजी, अक्कीस बेकर्स एंड फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड, श्री अक्षय खाबिया, श्री मनीष खाबिया, श्रीमती मंजू खाबिया (प्रोस्पेक्ट नं. IL10744349)	07-10-2025, रु. 7799110.00/- (सत्तत्तर लाख निन्यानवे हजार एक सौ दस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल: प्लॉट नंबर 51, अथर्व विहार कॉलोनी, नानाखेड़ा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश -456010 क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 968.80, 2093.50, 1674.80

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसका जोखिम, लागत और परिणाम पूरी तरह से उधारकर्ताओं के ही होंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश/या कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 17.10.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी-54 और 55, सुपर बी-4, थिरु विका औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई- 600 032, त. न.

उधारकर्ता को सूचना

बिक्री सूचना (निजी संधि द्वारा) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (5) और (6)] [प्रतिभूति हित का नियम 6 (प्रवर्तन) नियम 2002]

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से स्तंभ (क) में निर्दिष्ट उधारकर्ता(कों) और गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि स्तंभ (ग) में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यों) जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका कब्ज़ा स्तंभ (घ) में वर्णित अनुसार हाउसिंग चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया है, बेची जाएगी.
'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार- एतद् द्वारा सूचना दी जाती है. ऋणी/बंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और संबंधित ऋणी/बंधककर्ता (मृतक) के समनुदेशिती (समनुदेशिती), जैसा भी मामला हो, कॉलम (ए) में धारा [नियम 8 (5) और (6) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के साथ पढ़ा जाए] के तहत दर्शाया जा सकता है. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में दिए गए लिंक को देखें.

क्र.	[A] ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर के नाम	[B] O/S. वसूल की जाने वाली बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	[C] अचल संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	[D] कब्जे का प्रकार	[E और F] आरक्षित मूल्य (रुपये में) / नीलामी की तिथि
1.	ऋण खाता संख्या: HL04IND000061128 1. श्री/श्रीमती फूल सिंह मरकाम 2. श्री/श्रीमती मोहंती मरकाम, क्रमांक 1 और 2 के लिए पता- भूखंड संख्या 55-ए (मुख्यालय II) पैकी (दक्षिण भाग) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर सी सुखलिया इंदौर - 452010.	09/01/2025 को देय रु.27,70,764/- (रु. सत्ताईस लाख सत्तर हजार सात सौ चौंसठ मात्र)	**साइट के अनुसार-** प्लॉट नंबर 55-ए (सीएम II) पैकी (दक्षिणी भाग) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर सी सुखलिया इंदौर 452010. **दस्तावेजों के अनुसार-** वीरेंद्र चौहान, सुखलिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इंदौर 452010. **सीमाएँ योजना/डीड/लेआउट के अनुसार -** पूर्व- सड़क, पश्चिम- कांकड़ (आदर्श मौलिक नगर), **दक्षिण-** एच नं. 74 कांकड़ (आदर्श मौलिक नगर), इस भूखंड का उत्तर चार-शेष भाग. **वास्तविक स्थल के अनुसार-** पूर्व- रोड, पश्चिम- मीरा और कृष्णा बाई का मकान, दक्षिण- रामप्रसाद यादव (आदर्श मौलिक नगर) का मकान संख्या 74, उत्तर- इस भूखंड के शेष भाग पर निर्माणाधीन मकान.	कब्ज़ा निर्माणात्मक	रु.21,00,000/- रु. इक्कीस लाख मात्र) / 05.11.2025

ऋण समझौते के अनुसार लागू अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भुगतान और/या उसकी वसूली की तिथि तक.

दिनांक : 16.10.2025
स्थान : इंदौर, मध्य प्रदेश
हस्ताक्षरकर्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
रतलाम शाखा: ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02200000369 / रतलाम शाखा) उमाकांता मालवीय (ऋणी) महिपाल मालवीय (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. सीएच-35, एमपी हाउसगिं बोर्ड सूरजमल जैन नगर, रतलाम -457001 (मध्यप्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व- मकान नं. सीएच-36, पश्चिम- मकान नं.सीएच-34, उत्तर- प्लॉटनं. 11, दक्षिण-रोड	07-07-2025 & ₹ 3,41,601/-	15-10-2025
2	(लोन कोड नं. 02210001019/ रतलाम शाखा) सजना देवी (ऋणी) गजानंद कुमावत (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 41, सर्वे नं. 1104/7/1, 1109/11/1 की भूमि महावीर रेसीडेन्सी कॉलोनी, रतलाम 457001 (मध्यप्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. 42, पश्चिम- प्लॉट नं. 40, उत्तर- कॉलोनी रोड, दक्षिण- प्लॉट नं. 60	10-07-2025 & ₹ 30,75,484/-	15-10-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 17-10-2025
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

परिशिष्ट - XLI
गोल्ड लोन की नीलामी सूचना

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे नीच दिये गये निम्नलिखित ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे है। उन्हें पंजीकृत डाक से नोटिस भेज दिए गए है। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे देनदारी और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को **23.10.2025** को या उससे पहले भुनाएं, ऐसा न करने पर उक्त प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से वेबसाइट **https://bankeauctions.com के द्वारा दिनांक 24.10.2025 को दोपहर 12.00 से 4.00 बजे** तक या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तारीख को बिना किसी सूचना के, बैंक के पूर्ण विवेक पर उधारकर्ता की कीमत पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

क्रं	शाखा	लोन की दिनांक	लोन नम्बर	कुल वजन	शुद्ध वजन	ऋणी का नाम एवं पता
1.	नवलखा शाखा, इन्दौर	04.08.2022	180099055157	10.80 ग्राम	8.86 ग्राम	**दीपक कुमार लोवंशी,** 146, हिम्मत नगर, पालदा, इन्दौर (म.प्र.)
2.	सेंधवा शाखा	12.03.2025	180395242484	8.80 ग्राम	7.30 ग्राम	**निलेश पंवार,** मकान नं. 69, गली नं. 2, वार्ड नं. 7, सुदामा कॉलोनी, सेंधवा (म.प्र.) 451666

नियम एवं शर्तें: 1. बकाया राशि में गोल्ड लोन के साथ-साथ किसी भी अन्य ऋण/क्रेडिट सुविधा केअंतर्गत पार्टी की सभी देनदारियां शामिल होनी चाहिए। **3.** नीलामी/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। **3.** आभूषण विक्रय **''जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है''** के आधार पर होगा। **4.** सफल बोलीदाता को पूरी बोली राशि एक बार में चुकानी होगी और आभूषणों की डिलीवरी अपने पूर्ण जोखिम और जिम्मेदारी पर लेनी होगी और उक्त बोलीदाता किसी भी कारण से हमारे बैंक का सहारा नहीं ले सकेगा। **5.** बैंक को यह अधिकार है कि वह खाते में गिरवी रखे गए सभी या किसी भी आभूषण को आवश्यकतानुसार नीलाम कर दे या बिना किसी पूर्व सूचना के और अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी समय नीलामी स्थगित कर दें। **6.** बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। **7.** बैंक को अपनी सुविधानुसार किसी भी स्तर पर नीलामी बिक्री को किसी भी भविष्य की तारीख तक स्थगित/स्थगित करने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इसके लिए किसी पूर्व सूचना या अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। **8.** यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का भुगतान नहीं कर पाता है और/या ऐसा कुछ करता है जिससे नीलामी स्थगित/स्थगित करने/नई नीलामी बिक्री आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, तो वह अपनी चूक के कारण बैंक को हुई किसी भी हानि, यदि कोई हो, की भरपाई करने केलिए उत्तरदायी होगा, जो नीलामी पूरी करने में बाधा बन सकती है। **9.** आरक्षित मूल्य बोली के दिन तय किया जाएगा। **10.** ईएमडी की राशि **रु. 25000** नीलामी से 1 दिन पहले शाखा में जमा करना अनिवार्य है।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 17.10.2025
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक